राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 880वी बैठक दिनांक 22.04.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 880वी बैठक दिनांक 22.04.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P-2/881/24	1(a)	मण्डला	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P-2/893/24	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
3.	P-2/837/24	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P-2/920/24	1(a)	शिवपुरी	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P-2/924/24	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
6.	P-2/925/24	1(a)	पन्ना	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P-2/926/24	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P-2/950/24	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
9.	P-2/617/24	1(a)	सतना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P-2/915/24	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	10128/2023	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	अपेक्षित जानकारी हेतु स्मरण पत्र जारी किया जाये
12.	10303/2023	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	अपेक्षित जानकारी हेतु स्मरण पत्र जारी किया जाये
13.	10725/2023	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	अपेक्षित जानकारी हेतु

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

					(DEIAA-EC)	स्मरण पत्र जारी किया जाये
14.	10515/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
15.	10514/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
16.	11014/2023	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
17.	11000/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
18.	11030/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
19.	11156/2023	7(c) & 7 (h)	धार	PM Mitra Park and mega integrated textile region & apparel park	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये
20.	10260/2023	1(a)	सिंगरौली	गोल्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये

1. प्रकरण क्रमांक **P2/881/24** श्रीमती जबीन मलिक, निवासी वार्ड क्रमांक–1, रेलवे स्टेशन रोड, बम्हनी बंजार, मंडला, मध्य प्रदेश – 481771 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3702 घनमीटर प्रतिवर्ष (अनुमोदित खनन योजना अनुसार), खसरा नं. – 120, ग्राम कजरवाडा, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

   राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

   प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है व परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगाये गये 400 पेड़ भी परिलक्षित नही हो रहे है, SEAC की अनुशंसा अनुसार सेटलिंग टेंक /गारलैण्ड ड्रेन का निर्माण नहीं किया गया है, अनुमोदन खनन योजना अनुसार खनन की स्थिति नहीं पाई गई, सीईआर का भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित नहीं है अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

2. प्रकरण क्रमांक **P2/893/24** श्री राजेन्द्र ठाकुर पिता श्री दौलत सिंह ठाकुर, निवासी अरनिया राम सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.) 466116 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर (SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन योग्य क्षेत्र 1.80 हे.), उत्पादन क्षमता 4018 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. – 248/3/1क, ग्राम कांकरिया खेड़ी, तहसील–आष्टा, जिला– सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

SEAC द्वारा 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण के टाईटल में लीज क्षेत्र का रकबा 44.0 हेक्टेयर एवं अनुशंसा की शर्त कमांक 1 में उत्पादन क्षमता डोलोमाईट खदान 50085 टन/वर्ष अंकित है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत लीज से संबंधित दस्तावेज एवं अनुमोदित खनन योजना के अनुसार लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर एवं उत्पादन क्षमता पत्थर 4018 घनमीटर प्रतिवर्ष का ही लेख किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन फार्म एवं दस्तावेजों अनुसार रकबा 4.0 हेक्टेयर एवं उत्पादन क्षमता पत्थर 4018 घनमीटर प्रतिवर्ष मान्य की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र कमांक 3298 दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से दिनांक 30.10.2020 से 10 वर्ष की नवकरण स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.10.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्रमांक **P2/837/24** **श्रीमती प्रभा कालवा, निवासी– 07, यशवंत मार्ग, महिदपुर, जिला–उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), रकबा 0.750 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. – 571/1, ग्राम बंजारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन आवेदन खसरा नम्बर 571/1 के लिये किया गया है एवं पोर्टल पर अपलोड लीज स्वीकृति पत्र, अनुमोदित खनन योजना, एकल प्रमाण पत्र भी खसरा नम्बर 571/1 ही अंकित है परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में खसरा नम्बर 57/1 अंकित है। SEAC द्वारा 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में प्रकरण में अनुशंसा किस खसरा नम्बर के लिये की गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में किस खसरा नम्बर पर खनन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षण जिला कलेक्टर से करवाये जाने उपरांत अनुशंसा सहित प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

4. प्रकरण क्रमांक **P2/920/24** **श्री रविन्द्र चौहान, निवासी–मुसाहिब मोहल्ला खनियाधाना जिला– शिवपुरी, (म.प्र.)–473990 द्वारा खडेला फ्लैगस्टोन खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4772 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. – 39, 43, 45, ग्राम खडेला, तहसील–पिछोर, जिला–शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार लेख किया गया है :–

"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार MoEF&CC द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में DEIAA द्वारा दिनांक 13.09.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किया जाना था, चूँकि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारत सरकार MoEF&CC द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किये जाने का लेख है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्रमांक P2/924/24 श्री गणेश धाकड़, निवासी–ग्राम खैराई, तहसील कोलारस, जिला– शिवपुरी, (म.प्र.)–473770 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 14,112 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.–746/11, ग्राम अटलपुर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश कमांक 934 दिनांक 07.05.2018 के माध्यम से दिनांक 28.10.2017 से 10 वर्ष की स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.10.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्रमांक P2/925/24 श्री अरविन्द यादव, निवासी–किशोरगंज, वार्ड नं. 20, पंचम सिंह चौराहा मोहल्ला, जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) रकबा 1.19 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1890 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.– 370, 375/1, 381, ग्राम झॉझर, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC द्वारा 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्रमांक P2/926/24 श्री जुलाल वासवे, निवासी–देवधर, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 9700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.– 52/1/1/क, ग्राम मोयदा, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

SEAC द्वारा 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04. 2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्रमांक P2/950/24 श्री राजू राजपूत आत्मज श्री शेर सिंह राजपूत, निवासी–ग्राम जारोली धुबयाई, पोस्ट दमदमा थाना, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) रकबा 1.881 हेक्टेयर (SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन योग्य क्षेत्र 1.2469 हे.), उत्पादन क्षमता 6002 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.– 77/1, ग्राम महुआखाड़ी, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र कमांक 301 दिनांक 16.06.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.06.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्रमांक P2/617/24 श्री स्वप्निल सिंह, निवासी– हाउस नं. 114, पेपटेक सिटी, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) रकबा 2.43 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 14082 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.– 91/1/1/2, ग्राम खम्हरिया खुर्द, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

1- SEAC द्वारा 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

2- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदाने परिलक्षित है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक होता है। उक्त के संबंध जिला कलेक्टर सतना से अभिप्रमाणीकरण करवाया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्रमांक **P2/915/24** श्री राजीव शर्मा, निवासी– डी–2/001 विन्डसर हिल्स, न्यू सिटी सेन्टर, सिरोल मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) रकबा 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 34000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.– 1251, ग्राम उरहाना, तहसील मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिय आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण में श्री कैलाश कुलकर्णी द्वारा ई–मेल दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से शिकायत की गई है जिसमें उल्लेख है कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में जिला खनिज अधिकारी के एकल प्रमाण पत्र कमांक 295 दिनांक 07.03.2023 अनुसार 11 अन्य खदाने स्वीकृत/संचालित है जिस कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बी–2 श्रेणी में आवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में प्राप्त शिकायत अनुसार जिला कलेक्टर मुरैना से वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में स्पष्ट अनुशंसा किये जाने हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10128/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह आत्मज श्री भवर सिंह राजपूत निवासी मकान न. 39 वार्ड न. –3 मेन रोड राजपूत मोहल्ला कांजा जिला शाजापुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10180 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर,

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खसरा क्रमांक 1405, 1410 ग्राम कांजा तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 739 वीं बैठक दिनांक 23.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 849 वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र से 114 मी. एवं 328 मी. पर दो पवन चक्की परिलक्षित हो रही हैं, यद्यपि जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि., उज्जैन का पत्र कमांक 112 दिनांक 26/02/2024 पत्र अनुसार खनिज स्थल से पवन ऊर्जा टर्बाईन– 079 की दूरी लगभग 300 मीटर एवं 071 की दूरी 600 मीटर है। अतः खदान क्षेत्र से दोनों पवन चक्की की वास्तविक दूरी की स्पष्ट जानकारी म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि., उज्जैन से 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता हैं। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि पवन चक्की से निर्धारित दूरी 300 मीटर छोड़ने के पश्चात् 0.510 हेक्टेयर क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परीक्षण उपरांत पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 के निर्णयानुसार म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि. शाजापुर से पवन चक्की से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में दूरी की स्पष्ट जानकारी अपेक्षित है। अतः उर्जा विकास निगम से स्पष्ट जानकारी एवं अनापत्ति 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, उर्जा विकास निगम लिमि. शाजापुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 10303/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सदगुरु सांई ग्रेनाइट, पार्टनर श्री चन्द्रभान यादव, निवासी सत्यदेव नगर, गांधी रोड़, 301, सत्यम रेसीडेन्सी अपार्टमेन्ट, ग्रिड़, आर.के.पुरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.84 हेक्टेयर, खसरा 2842/2, ग्राम थनरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729 वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर शिवपुरी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में लिए गए निर्णयानुसार जिला कलेक्टर शिवपुरी से जानकारी अपेक्षित है। अतः उक्त जानकारी 15 दिवस में प्रदान किये जाने हेतु जिला कलेक्टर शिवपुरी को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 10725/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रघुनंदन सिंह, निवासी 86, लक्ष्मी नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5820 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.90 हेक्टेयर, खसरा 851, ग्राम झाकेला, तहसील रामा, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729 वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर झाबुआ से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में लिए गए निर्णयानुसार जिला कलेक्टर झाबुआ से जानकारी अपेक्षित है। अतः उक्त जानकारी 15 दिवस में प्रदान किये जाने हेतु जिला कलेक्टर शिवपुरी को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

14. Case No. 10515/23: Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry (Opencast Semi-Mechnized Method) for Production Capacity of 20,000 cum per year in an area of 2.00 ha. Khasra No. 62/1, Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) by Shri Ashwin Maru, R/o Chota Bazar, Tehsil-Unhel, District-Ujjain (MP)-456221

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः सुमाहित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

15. Case No. 10514/23: Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry (Opencast Semi-Mechanized Method) for Production Capacity of 40000 cum per year, in an area of 4.00 ha , Khasra No. 76, Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) by Shri Ashwin Maru, Lessee, R/o Chota Bazar, Tehsil-Unhel, District-Ujjain (MP)-456221

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई / ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

16. Case No 11014/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized Method) for Production Capacity of 10830 cum per year, in an area of 2.00 ha., Khasra No. 36, at Village-Bansara, Tehsil-Shadhora, District-Ashoknagar (MP) by Shri Vinit Kumar Sharma R/o Gram Bhaisaravas, Post Bhaisaravas, District Ashoknagar , M.P, 473331,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

17. Case No 11000/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized Method) for Production Capacity of 10000 cum per year, in an area of 1.00 ha., Khasra No. 167/1, 167/2, 168 at Village-Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) by Shri Grish Patidar R/o LIG A1/18, Rishi Nagar District Ujjain (MP), 456010.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753–B बैठक दिनांक 18.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 753-B बैठक दिनांक 18.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई / ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

VII. **म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।**

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

X. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।**

18. Case No 11030/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi-Mechanized Method) for Production Capacity of 10476 cum per year, in an area of 1.50 ha., Khasra No. 169, at Village-Sarwani Bant, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) by M/s Jamthun Stone Deposit, Shri Vijay Jadav, Proprietor, R/o 03, Nirala Nagar, Badbad Naka, District-Ratlam (MP)-457001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

II. **भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के**

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई / ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

<u>अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –</u>

19. Case No 11156 /2023: Prior Environment Clearance for PM Mitra Park to develop a mega integrated textile region & apparel park in an area of 497.06 ha. at Bhainsola, Tehsil Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) by MP Industrial Development Corporation (MPIDC) through Executive Engineer, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Indore (MP)-452001 Email: ajaykumarjain61@gmail.com Proposal no. SIA/MP/INFRA1/519828/2025

1. उक्त प्रकरण औद्योगिक विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा पीथमपुर जिला धार, इंदौर में म.प्र.में प्रस्तावित स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर–07 (निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना) के विकास के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।

2. प्रस्तावित परियोजना कुल परियोजना क्षेत्र 497.06 हेक्टेयर है। (जो 500 हेक्टेयर से कम है) इसलिए ईआईए अधिसूचना की श्रेणी बी के 7(C) और इसमें 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)' भी प्रस्तावित जो कि है ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में केटेगरी 7(h) की श्रेणी 'बी' के अंतर्गत कवर की गई है।प्रस्तावित परियोजना में कोई भी श्रेणी "ए" उद्योग शामिल नहीं है।

3. SEAC की 769 वीं बैठक दिनांक 10.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 65 से 85 पर अंकित है।

4. जन सुनवाई 03 अगस्त 2024 को भैंसोला, तहसील बदनावर, जिला, धार, इंदौर (म.प्र.)में आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि और संपत्ति का मुआवजा "भूमि अधिग्रहण, नियमानुसार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने आदि सम्बंधित मुद्दे उठाये गए।

   स्थानीय लोगो द्वारा यह मुद्दा भी उठाया गया कि परियोजना में स्थित तालाब से आस पास के गांव में सिंचाई की जाती है परियोजना के निर्माण से पाइप लाइन टूटने पर मुआवजा दिया जाये।

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Description	Details
1.	Proposal Number	SIA/MP/INFRA1/519828/2025 dtd. 23/01/2025
2.	Name of Project	Proposed Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Park (PM Mitra Park)
3.	Project category	7 (c) - Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.&7 (h) - Common Effluent Treatment Plants (CETPs)
4.	Project Proponent	MP Industrial Development Corporation (MPIDC)
5.	Location of the project	At Village: Dotriya and Bhensola, Tehsil: Badnawar, Dist.: Dhar, Madhya Pradesh
6.	Nearest Airport	Indore Airport 87 km
7.	Nearest Highway	NH – 47- 40 Km from Project site SH – 18- 1 Km from Project site
8.	Nearest Railway Station	Sunderabad 29 km
9.	Project description	The State Government through (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park with a complete state of the art manufacturing facilities. The development strategy of the proposed project is based on the 5F Concept (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) which includes the complete textile value chain starting from ginning, spinning, weaving, knitting and Textile processing.

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10.	Details regarding R&R involved in the project (if any)	The project is located at villages Dotriya and Bhensola, Tehsil Badnawar, District Dhar, Madhya Pradesh. Total 89 houses/huts will be affected, and approximately 5.189 hectares of land has been acquired from 37 land owners by the MPIDC under the Bhumi Kraya Niti Varsh – 2014. • Rehabilitation & resettlement plan is executed by MPIDC for those affected person at Khasra No. 421 in village Bhensola on 7.51 ha land. • The resettlement site will be equipped with essential amenities like Samudayik Bhavan (Community Hall), an Overhead Water Tank (OHT), a Prathamic Health centre, Anganwadi, School, Internal road, Garden, Open space etc.
11	Government Order	परियोजना की मंजूरी की प्रशासनिक आदेश पत्र एफ आईपीआई / 2 / 002 / 2022 / ए–11दिनांक 29 / 09 / 2023 के माध्यम से की गई।
12	Project Cost	663.43 Cr.
13	Latitude and Longitude	Latitude 23° 1'28.37"N & Longitude 75° 1'42.68"E
14	Plot Area	The total area of the proposed project site is 497.06 Hectares which comprise of Industrial plot, Residential area, Logistic area, Commercial space, Development centre, Amenities etc
15.	Area Statement	(see table below)

Particulars	Area (Ha)	In %
Industrial	266.30	53.58
MSME Plots	11.76	2.37
Logistics	29.99	6.03
Commercial	7.78	1.57
Residential	33.60	6.76
Parking Area	7.19	1.45
Amenities	28.88	5.81
Road Area	56.21	11.31
Green Area	55.35	11.14
Total Plot Area	**497.06**	**100%**

16		The resettlement site will be equipped with essential amenities like Samudayik Bhavan (Community Hall), an Overhead Water Tank (OHT), a Prathamic Health centre, Anganwadi, School, Internal road, Garden, Open space etc.
17.	Water Requirement	Construction Phase – 5 MLD Operational Phase – 7 MLD
18.	Source of water	Mahi Dam Reservoir (Water permission letter no 293 dated on 12.06.2023)
19.	Waste Generation	Effluent Generation - 4 MLD
20.	CETP(Common Effluent Treatment Plant)	10 MLD
21.	Solid & Hazardous Waste Generation	MSW Waste – 75 TPD Industrial waste -100 TPD The park has an earmarked area of 1000 sq mts in Logistic Areas for Waste Management.

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

22.	Manpower Requirement	• Construction Phase – ~ 500 Nos. • Operational Phase – ~ 25000 Nos.
23	Green Area details	Currently the park has been proposed with 11.14% Green Area. All member industries have to maintain green area of 33% individually.
24	Power requirement	Construction Phase – 1000 KVA Operation phase - 5500 KVA Source-Madhya Pradesh Power Transmission Co. Ltd (MPPTCL)
25	CER Budget	663.43 Lakh
26	EMP Cost	The proposed EMP cost is Rs. 22,466.00 Lakhs and 18853.00 lakhs/year as recurring cost for the project .

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **769वी बैठक दिनांक 10.02.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण की 871 वीं बैठक दिनांक 24.02.25 में विचार विमर्श के बाद 09 विन्दुओं पर जानकारी चाही गई, परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01.04.25 को प्राधिकरण के निर्णयानुसार चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 769वी बैठक दिनांक 10.02.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. SEAC में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार चूँकि प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क भारत सरकार के पीएम मित्रा के अंतर्गत शामिल योजना है, अतः परियोजना प्रस्तावक इंडस्ट्रियल पार्क में केवल कपड़ा उद्योगों की स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी समूह द्वारा खतरनाक अपशिष्ट निपटान की अतिरिक्त सुविधा विकसित की जाए एवं परियोजना स्थल के आसपास औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न कचरे के परिवहन की व्यवस्था भी सीपीसीबी एवं एमपीपीसीबी के दिशा निर्देशअनुसार ही किया जाये । उद्योगों को सदस्यता एमपीआईडीसी द्वारा दी जायेगी। अतःउद्योगों का संचालन होने पर सुविधा

   मिलते ही सभी आवश्यक सदस्यता और अनुबंध SEAC में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. ईआईए अधिसूचना 2006 और यथासंशोधित में निहित प्रावधानों के अनुसार, MPIDC श्रेणी ए के अंतर्गत आने वाले किसी भी उद्योग को टेक्सटाइल पार्क क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा।
4. प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का निर्माण एवं अपशिष्ट परिवहन नेटवर्क का कार्य मौजूदा केंद्रीय/ स्थानीय नियम और विनियम की पुष्टि करते हुए सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
5. टेक्सटाइल पार्क से संबंधित सभी प्रस्तावित गतिविधियों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की संबंधित विभाग/एजेंसियों से डिजाइन/ड्राइंग निर्माण की मंजूरी होनी चाहिए।

(आर. उमामहेश्वरी) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक केवल पार्क की सदस्य इकाइयों से ही अपशिष्ट जल स्वीकार करेगा और किसी भी परिस्थिति में अन्य इकाई को सीईटीपी का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाएँ।
7. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करे कि उपचारित अपशिष्ट की पूरी मात्रा सदस्य इकाइयों द्वारा पुनर्चक्रित/पुनः उपयोग की जाएगी और किसी भी सदस्य इकाइ द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन (industrial effluent discharge) नहीं किया जावेगा।
8. औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को EIA अधिसूचना 2006 में सम्मिलित होने के स्थिति में पृथक से परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।
9. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण सम्बंधित सुरक्षा, वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था, उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल की उपचार एवं पुनरुपयोग की व्यवस्था आदि का समय समय पर निरक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।
10. परियोजना प्रस्तावक स्थानीय लोगो के जमीन परियोजना में शामिल होने की दशा में मुआवजा दिए जाने सम्बंधित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
11. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पूर्ण रूप से EMP में प्रस्तावित सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।
12. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।
13. माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण या अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा।
14. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-
    a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
    b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
    c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
15. Unit shall explore the use of Renewable energy to the maximum extent possible to make the project energy – efficient through energy efficient device and adoption of modes of alternative ecofriendly source of energy like solar water heater, solar lighting etc.

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16. Each member units shall provide necessary treatment facility of suitable capacity followed by collection sump and effluent transfer facility with suitable piping and valve, prior to making discharge in to conveyance system.
17. Any wastewater or hazardous wastes of other industries other than textile park shall not be received / disposed in textile park for its treatment or its disposal in textile park, in any case.
18. Enough care shall be taken to prevent any leakages/accidental spillages during conveyance of the untreated effluent from member units to the CETP as well as treated effluent from the CETP to member units for its recycle/reuse.
19. Parking space to accommodate trucks, cars, two wheelers and bicycles shall be provided as per the norms.
20. As per suggestion of SEAC committee Re-locate the CETP location by maintaining the distance of Mahi River as presented before the committee.
21. PP should ensure to submit Physico-chemical & Biological quality of water including flora fauna before the execution of the project and also install the scientific lab for monitoring the Air & water quality of the project area on regular basis.
22. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.
23. PP should ensure to install Rain water harvesting structure in associated residential & industrial buildings.

20. Case No 10260/2023 Prior Environment Clearance for Chakariya Gold Block (Fully mechanized method) for production capacity of Gold-12553 TPA & Mine Waste-119250 TPA, in an area of 23.57 ha. at Khasra No. 848/2, 848/3, 1111, 1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124), Village-Chakariyadand, Tehsil Chitrangi, District-Singrauli (MP) by M/s Garima Natural Resources Private Limited, Director Shri Vikas Sharma, R/o Shop No. 150, 106, 2nd Floor, Shri Ram Heritage, Netaji Chowk, Katora Talab, District-Raipur (CG)-492001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 एवं 770वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 868 वी बैठक दिनांक 14.02.2025 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :-

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. *खनिज साधन विभाग द्वारा उक्त खदान का Letter of Intent दिनांक 14.09.2020 को जारी किया गया है जिसकी वैधता 03 वर्ष (दिनांक 13.09.2023) निर्धारित है जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैध Letter of Intent प्रस्तुत किया जाये।*

II. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA प्रतिवेदन की ToR के बिन्दु कं. (iii) की Compliance के बारे में उल्लेख किया गया है कि लीज क्षेत्र के अंदर कोई भी रहवासी घर नहीं है, किन्तु EIA के बिन्दु कं. 7.3 में उल्लेख किया गया है कि House Displacement नहीं किये जायेंगे एवं EIA के Schedule-1 में उल्लेख किया गया है कि House Displacement के लिये प्रति परिवार 1.50 लाख रूपये दिये जायेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त तीनो तथ्यों में विरोधाभास है। इन तीन में से किस तथ्य को सही माना जावे ? SEAC समिति के कार्यवाही विवरण एवं गूगल ईमेज अनुसार लीज क्षेत्र के अंदर रहवासी घर परिलक्षित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा R&R Plan प्रस्तुत करना था जो नहीं किया गया है।*

III. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA प्रतिवेदन की ToR के बिन्दु कं. (vi) की Compliance के पालन का उल्लेख नहीं है।*

IV. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA प्रतिवेदन की ToR के बिन्दु कं. (xi & xii) की Compliance नहीं किया गया है।*

V. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA प्रतिवेदन की ToR के बिन्दु कं. (xix) की Compliance नहीं किया गया है।*

VI. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA प्रतिवेदन की ToR के बिन्दु कं. (xxv) की Compliance नहीं किया गया है।*

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

SEAC द्वारा 777वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में परीक्षण उपरांत निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित करते हुए प्रकरण में SEAC की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशसा को यथावत रखते हुए प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया :—

Committee have discussed and arrived at following ;--

- *The LOI validity was discussed during the appraisal, it was informed by the PP that they have already applied to Mining deptt , in order to avoid delay case was recommended, valid LOI dt 24th Feb is uploaded.*
- *Regarding R&R plan, ToR point (III) states that R&R plan should be prepared by PP as per Govt. rules for villagers having houses/huts in the lease area , during the presentation it was discussed in length. There are 22 no of hutments developed as encroachment as they are practicing agriculture farming in nearby mine area. LARR plan has been prepared for Rs 177.76 lacs + 10 Laces for those 22 household. These hutments do not require shifting as mining is planned away from the hutments for initial 05 years after that mining shall be done through underground method . –*
- *In compliance of ToR point ix, it was observed by the committee that no habitation is located along the transport road from lease area to PWD road. PP assured for construction of pucca road as shown under EMP budget. Budget has been provided for the occupational health issues under EMP - The carbon sequestration issue (ToR point xii) PP has submitted that the proposal does not pertain as it is mining*

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

project and mining will be done only day time, however committee has suggested for solar lights and green belt development to reduce the carbon foot print. The cost benefit analysis (ToR Ponit- XIX) was not discussed as it was not a part of EIA study and already submitted with the project feasibility report during the submission of application. The panchsala Khasara documents (ToR Point XXV) are submitted with application and EIA on parivesh portal . PP submitted that no grazing land is involved within the lease area.

- The reply along with annexure submitted by the PP with respect to ADS, have been discussed in details as above and found satisfactory. Hence case is recommended for grant of environment clearance as made in 768th meeting of SEAC dated 28.01.2025 for further consideration

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 एवं 770वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **म.प्र. खनिज साधन विभाग के आदेश कमांक एफ 3–12/2020/12/1 दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 30 वर्ष (दिनांक 27.02.2054) तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की** अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता **के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में** गठित समिति की बैठक दिनांक **01/03/2019 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं तालाब से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि संचालन के पूर्व खदान के पास स्थित तालाब की Ecological Study (Physico-chemical एवं Biological Study का समावेश करते हुए) की जाये तथा प्रतिवेदन 1 माह में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष